

दिनांक : 22.03.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त के विरुद्ध प्रेषित समन तामील/अदम तामील आख्या के पत्रावली में वापस प्राप्त नहीं है। आख्या हेतु इन्तजारी किया जाये।

पीठासीन अधिकारी न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोखरी के वार्षिक निरीक्षण में गये हुए हैं, न्यायहित में तिथि मुलतवी की जाती है।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त हेतु दिनांक 20.04.2023 को प्रस्तुत हो।

प्रभारी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।